प्रेस नोट 22/09/2019

<u>दिनांक 03.09.2019 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत फ्यूजन माइक्रो कंपनी के एजेंट से हुयी लूट का हुआ पर्दाफाश, 02 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट के लगभग 10 हजार रुपये एवं तमंचा व बाइक बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर पुराघाट पुल के पास से मु0अ0सं0 247/19 धारा 392 भादवि अभियोग में संलिप्त 02 शातिर लुटेरों क्रमशः श्रवण चौहान पुत्र सुदर्शन चौहान निवासी खानपुर मझरिया थाना सरायलखंसी मऊ व विक्रम चौहान पुत्र मुन्ना निवासी फैजुल्लाहपुर थाना कोपागंज मऊ को हीरो सीबीजेड स्ट्रीम (यूपी 54 एएफ 7161) के साथ गिरफ्तार कर कब्जे से लूट के 9 हजार 930 रुपये व लूट में प्रयुक्त एक अदद तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर किया गया।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–</u>

1. श्रवण चौहान पुत्र सुदर्शन चौहान निवासी खानपुर मझरिया थाना सरायलखंसी मऊ।
2. विक्रम चौहान पुत्र मुन्ना निवासी फैजुल्लाहपुर थाना कोपागंज मऊ।

<u>बरामदगी–</u>

1. लूट के 9 हजार 930 रुपये।
2. लूट में प्रयुक्त एक अदद तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।
3. हीरो सीबीजेड स्ट्रीम (यूपी 54 एएफ 7161)।

<u>थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत एक शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद–</u>

मऊ। थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.09.19 को देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चंदापार चट्टी से गनेश भारती पुत्र स्व0 झबडू निवासी रईसा थाना कोपागंज मऊ के कब्जे से लगभग 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 461/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

मऊ। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.09.2019 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मुसरदह मोड़ के पास से मु0अ0सं0 459/19 धारा 363,376 भादवि व 3/4 पोस्को एक्ट में वांछित अभियुक्त सद्दाम(चूड़ीवाला) पुत्र मुनीर निवासी अंधा मोड़ भीटी थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 09 व्यक्ति व 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

मऊ। आज दिनांक 22.09.2019 को थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा शांति भंग की आशंका में श्रीराम, मुखराम, भृगुनाथ पुत्रगण रघुनाथ, संजय, सतेन्द्र पत्रगण भृतुनाथ, रामपत पुत्र विसई, राहुल पुत्र रामपाल, मूकेश पुत्र श्रीराम, राकेश पुत्र मूखराम निवासीगण खीरखाड थाना रानीपुर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी व थाना **कोतवाली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त** गौरीशंकर पुत्र फेकू यादव निवासी खालसा कानूनगोचक थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>गुटका, पान, तम्बाकू से दूर रहें पुलिसकर्मी–</u>

आज दिनांक 22.09.2019 को पुलिस लाईन जनपद मऊ में इंडियन डेंटल एशोसिएसन मऊ की ओर से निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य द्वारा उक्त कार्यक्रम का फीता काटरकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान डा0 शैलजा कांत पाण्डेय सहित समस्त मेडिकल टीम द्वारा लगभग 150 पुलिसकर्मियों व उनके परिवारजनों के दातों का चेकअप किया गया तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया एवं दांतों की सुरक्षा हेतु अहम जानकारियां दी गयी जिसमें सुबह–शाम टूथब्रश करने, एक ब्रश को अधिकतम 03 महीने से ज्यादा प्रयोग न करने, पतले रेशे वाले ब्रश इस्तेमाल करने व विशेष रुप से गुटका, पान, तम्बाकू आदि से फैलने वाली बिमारियों के बारे में विस्तापूर्वक बोध कराया गया। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा गुटका, पान, तम्बाकू एवे अन्य मादक पदार्थों एवं धुम्रपान करते पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।